बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग, पटना।

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25 / 2021–पार्ट–I– 757

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक : 08/04/26

विषय : सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा अन्तर्गत शम्भुगंज शाखा नहर के बायाँ सेवा पथ के 5.4 कि०मी० से 14.00 कि०मी० तक ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कालीकृत सड़क निर्माण कार्य (सुलभ सम्पर्कता योजनान्तर्गत शम्भुगंज छत्रहार PMGSY रोड से खेसर बाजार तक पथ निर्माण) हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में।

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बाँका–1, ग्रामीण कार्य विभाग का पत्रांक 108 दिनांक 16.01.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तो के साथ बांका जिला के शंभुगंज प्रखंड में सुलभ सम्पर्कता योजनान्तर्गत शंभुगंज छत्रहार पी०एम०जी०एस०वाई० रोड से खेसर बाजार तक पथ निर्माण के क्रम में शंभुगंज शाखा नहर के बायाँ सेवा पथ पर 5.4 कि०मी० से 14.00 कि०मी० तक कालीकृत सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1. प्रस्तावित निर्माण कार्य संबंधी रूपांकण एवं आलेख्य कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बीजीखोरवा को समर्पित करना होगा एवं उनकी सहमति के उपरांत ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
2. नहर के मूल स्वरूप यथा रूपांकित सेक्शन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़–छाड़ नहीं किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को निश्चित रूप से ससमय सूचना दी जाय ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय–समय पर उनके द्वारा भी की जा सके।
4. जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देश का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
5. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पत्ति की क्षति होने पर जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों के निदेशानुसार कार्यकारी विभाग अपने खर्च पर आवश्यक कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान संभावित दुर्घटना से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कार्य कराने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी। निर्माण कार्य के दरम्यान कोई आकस्मिक दुर्घटना घटित होने की परिस्थिति में इसकी पूर्ण जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

7. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen Work), जो जल संसाधन विभाग के कार्यहित में हो, उसे कार्यकारी विभाग को कराना होगा।

8. प्रस्तावित निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता की जवाबदेही कार्यकारी विभाग की होगी।

9. प्रस्तावित निर्माण कार्य से जल प्रवाह/Waterway प्रभावित या अतिक्रमित नहीं होना चाहिए।

10. कार्य के दौरान नहर द्वारा किये जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।

11. भविष्य में सड़क का मरम्मति या विस्तारीकरण एवं अन्य कार्य जल संसाधन विभाग की सहमति से किया जा सकेगा।

12. उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होगा।

13. नहर के बाँध पर जल संसाधन विभाग के द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य तरह का कार्य कराया जा सकेगा एवं उपयोग का अधिकार जल संसाधन विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

14. प्रस्तावित निर्माण कार्य के दरम्यान नहर तल/चाट लैंड से मिट्टी नहीं काटी जाय।

15. कार्य के दौरान नहर के सेवापथ पर आवागमन को बंद नहीं किया जायेगा।

16. प्रस्तावित पथ निर्माण के उपरांत विभागीय भूमि पर से अवशिष्ट पदार्थ (Waste material) को हटाने की जिम्मेवारी कार्यकारी विभाग की होगी।

17. उक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

08/4/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I–757 पटना, दिनांक : 08/04/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, खड़गपुर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बिजीखोरवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/4/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : यो०मो०–03–कार्य–10–25/2021–पार्ट–I–757 पटना, दिनांक : 08/04/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/4/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय